मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1, तिलक मार्ग लखनऊ-226001

संख्या-डीजी-परिपत्र संख्या-59/2014 दिनाँक लखनऊ:सितम्बर 17,2014

सेवा में,

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0।

विषय:-क्रिमि0 अपील संख्या-210/1994 बहादुर उर्फ विक्रम सिंह बनाम राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.09.2014 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि जाँच अधिकारियों/विवेचक द्वारा अभियुक्तों/गवाहों के स्थायी पते अंकित नहीं किये जाते है जिसके कारण विभिन्न अपराधिक मामलों में अभियुक्तों द्वारा कुछ समय पश्चात वर्तमान पते जो अस्थायी होते है, से किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते है जिससे अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराने में अत्यधिक कठिनाई होती है और सम्बन्धित थानों से मा0 न्यायालयों को यह आख्या प्रेषित कर दी जाती है कि अभियुक्त अस्थायी पते से किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट हो गया है जो ज्ञात नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है।

क्रिमि0 अपील संख्या-210/1994 बहादुर उर्फ विक्रम सिंह बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है:-

" It has come to the notice of the Court in various cases that the present address of the accused is noted, but the permanent address of the accused is not noted down by the police.
In various cases, the accused persons have shifted from the temporary address, which was disclosed by them at the time of commission of crime. The criminal appeals are pending in this Court since long and when the counsel for the appellant did not turn up to argue the appeal, non-bailable warrant/bailable warrant is issued against the accused person. The police of the concerned Police Station reports only that the accused has moved away from his present address and, therefore, he is not traceable.
Why permanent address of the accused is not being noted down by the police at the time of commission of crime and how this shortcoming can be removed, so that criminal justice delivery system may not fail."

अत: आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधिनस्थ समस्त जाँच अधिकारियों/विवेचक/पर्यवेक्षण अधिकारियों को निर्देशित करें कि समस्त स्थानों जहां पर अभियुक्त/गवाहों का नाम अंकित हो वहां पर अभियुक्तों/गवाहों के वर्तमान(अस्थायी) पते के साथ-साथ स्थायी पता एवं मोबाइल/फोन नम्बर भी अंकित किया जाये जिससे अभियुक्तों/गवाहों की उपस्थिति मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सुनिश्चित करायी जा सके। इस आदेश का कड़ाई से शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।

(ए0एल0 बनर्जी) 17/9/14
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।